Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
Available online at : www.gisrrj.com
OPEN ACCESS
© 2025 GISRRJ | Volume 8 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

भारत में चुनाव सुधार – आवश्यकता एवं प्रयास

(Electoral Reforms in India – Needs and Efforts)

हिमांशु शेखर दुबे	डॉ. मयंक कुमार
शोर्धार्थी, विधि, विभाग, मेजर एस डी सिंह विश्वविद्यालय फर्रुखाबाद उ॰ प्र॰	आचार्य, विधि विभाग, मेजर एसडीसिंह विश्वविद्यालय फर्रुखाबाद उ॰ प्र॰

Article Info
Volume 8, Issue 1
Page Number : 172-179

Publication Issue :
January-February-2025

Article History
Accepted : 20 Jan 2025
Published : 05 Feb 2025

सारांश(Abstract) भारत में चुनाव सुधार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वर्तमान चुनाव प्रणाली में कई खामियाँ और चुनौतियाँ हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्रभावित करती हैं। मतदाता सूची की अपूर्णता, चुनावी खर्च की सीमा का उल्लंघन, धन शक्ति का प्रभाव, और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी जैसी समस्याएँ चुनाव सुधार की आवश्यकता को दर्शाती हैं। चुनाव सुधार के माध्यम से इन खामियों को दूर किया जा सकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। चुनाव आयोग की स्थापना, मतदाता सूची का सुधार, चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता लाना, और चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी सुधार जैसे कदमों ने चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस शोध का उद्देश्य चुनाव सुधार की आवश्यकता और इसके लिए किए गए प्रयासों का विश्लेषण करना है, ताकि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत और समावेशी बनाया जा सके।

मुख्य शब्द (Keywords) सुधार, पारदर्शिता, मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया, इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन, चुनाव सुधार समिति।

प्रस्तावना– भारत एकविशाल लोकतांत्रिक देश है, जहाँ हर पाँच साल में केंद्र और राज्य सरकारों के चुनाव होते हैं। चुनाव प्रक्रिया किसी भी लोकतंत्र का मूलभूत हिस्सा होती है, और इसके पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि, समय–समय पर चुनाव प्रक्रिया में खामियाँ सामने आती रही हैं, जिससे चुनाव सुधार की आवश्यकता महसूस होती है।चुनाव सुधार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वर्तमान चुनाव प्रणाली में कई समस्याएँ हैं जैसे कि मतदाता सूची की अपूर्णता, चुनावी खर्च की सीमा का उल्लंघन, धन शक्ति का प्रभाव, और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी। इसके अलावा, चुनावी प्रक्रिया में धनबल और बाहुबल का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है, जिससे चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। इन खामियों को दूर करने के लिए चुनाव सुधार आवश्यक है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत और विश्वसनीय बनाया जा सके।

भारत में चुनाव सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।1950 में चुनाव आयोग की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चुनाव आयोग का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है, जिसमें सभी पात्र मतदाताओं का नामांकन हो और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिले। मतदाता सूची में सुधार के लिए, चुनाव आयोग ने ई–मतदाता सेवाएँ, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन पंजीकरण जैसी सुविधाओं की शुरुआत की है, जिससे मतदाता सूची को अद्यतित और सही किया जा सके। इसके अलावा, चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बांड की शुरुआत की गई है, जिससे मतदाता किसी भी राजनीतिक दल

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

को गुमनाम तरीके से धन दे सकते हैं। चुनाव सुधार के लिए किए गए अन्य महत्वपूर्ण प्रयासों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (म्टड) का उपयोग, वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (टटच।ज) की शुरुआत, और चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी सुधार शामिल हैं। म्टड और टटच।ज के उपयोग से मतदान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने में मदद मिली है।

इस शोध का उद्देश्य चुनाव सुधार की आवश्यकता और इसके लिए किए गए प्रयासों का विश्लेषण करना है। इसमें हम चुनावी प्रक्रिया की खामियों का विश्लेषण करेंगे और उन सुधारों की चर्चा करेंगे जो इसे और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बना सकते हैं। इसके अलावा, हम चुनाव सुधार के वर्तमान प्रवृत्तियों और चुनौतियों का भी अध्ययन करेंगे, ताकि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत और समावेशी बनाया जा सके।

चुनाव सुधार की आवश्यकता– भारत में चुनाव सुधार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वर्तमान चुनाव प्रणाली में कई खामियाँ और चुनौतियाँ हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्रभावित करती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं जिनके कारण चुनाव सुधार आवश्यक हैः

मतदाता सूची की अपूर्णता– मतदाता सूची में अपूर्णता और गलतियाँ आम हैं, जिससे कई पात्र मतदाता मतदान से वंचित रह जाते हैं। यह समस्या विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अधिक होती है। मतदाता सूची को अद्यतित और सही करने के लिए सुधार आवश्यक है।

चुनावी खर्च की सीमा का उल्लंघन– चुनावी खर्च की सीमा का उल्लंघन एक गंभीर समस्या है। कई उम्मीदवार और राजनीतिक दल चुनावी खर्च की सीमा का पालन नहीं करते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया में धन शक्ति का प्रभाव बढ़ता है। चुनावी खर्च की निगरानी और नियंत्रण के लिए सुधार आवश्यक है।

धन शक्ति का प्रभाव –चुनावों में धन शक्ति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। धन शक्ति का उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने, वोट खरीदने और चुनावी प्रचार में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए चुनाव सुधार आवश्यक है।

चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी – चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। मतदाता सूची, मतदान प्रक्रिया, और मतगणना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुधार आवश्यक है। इससे मतदाताओं का विश्वास बढ़ेगा और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता में सुधार होगा।

बाहुबल का प्रभाव – चुनावों में धनबल और बाहुबल का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है, जिससे चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। बाहुबल का उपयोग मतदाताओं को धमकाने, हिंसा करने और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए चुनाव सुधार आवश्यक है।

चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता की कमी – चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता की कमी भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के वित्तपोषण के स्रोतों का खुलासा नहीं किया जाता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के लिए सुधार आवश्यक है।

तकनीकी सुधार की आवश्यकता – चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी सुधार की आवश्यकता भी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (म्टड) और वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (टटच।ज) जैसी तकनीकों का उपयोग चुनावी प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, मतदाता सूची के अद्यतनीकरण और मतदान प्रक्रिया में तकनीकी सुधार की आवश्यकता है।

चुनाव सुधार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हों। चुनाव सुधार के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत और विश्वसनीय बनाया जा सकता है, जिससे मतदाताओं का विश्वास बढ़ेगा और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

चुनाव आयोग की स्थापना – चुनाव आयोग की स्थापना भारतीय चुनाव प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यहाँ चुनाव आयोग की स्थापना के प्रमुख बिंदु दिए गए हैंः

स्थापना की तिथि – भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी1950को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324के तहत की गई थी। यह भारत के पहले आम चुनावों से ठीक पहले स्थापित किया गया था, जो 1951–52में आयोजित किए गए थे।

संवैधानिक प्रावधान – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के कार्यों और शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार, चुनाव आयोग का कार्य संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन और निगरानी करना है।

संरचना – प्रारंभ में, चुनाव आयोग एक एकल सदस्यीय आयोग था, जिसमें केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। 1989में, इसे बहु–सदस्यीय आयोग बनाया गया, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनका कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, होता है।

कार्य और जिम्मेदारियाँ– चुनाव आयोग का मुख्य कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत, चुनाव आयोग निम्नलिखित कार्य करता हैः

- मतदाता सूची का अद्यतनीकरण और सत्यापन
- चुनाव कार्यक्रम की घोषणा और संचालन
- चुनावी नियमों और विनियमों का पालन कराना
- चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की गतिविधियों की निगरानी
- चुनावी खर्च की सीमा का पालन सुनिश्चित करना
- स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना
- मतगणना और परिणाम घोषित करना

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ – भारतीय चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके द्वारा किए गए सुधारों ने भारतीय चुनाव प्रणाली को विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया है। 1991 के आम चुनावों में पहली बार चुनाव आयोग ने बूथ कैप्चरिंग जैसी चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए। 2000के दशक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (म्टड) का उपयोग प्रारंभ किया गया, जिससे मतदान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने में मदद मिली।

चुनौतियाँ और सुधार –चुनाव आयोग को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मतदाता सूची की अपूर्णता, धन बल और बाहुबल का प्रभाव, और चुनावी खर्च की सीमा का उल्लंघन। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने कई सुधार किए हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को अद्यतित और सही करने के लिए ई–मतदाता सेवाएँ, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधाओं की शुरुआत की है। चुनाव आयोग की स्थापना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से भारतीय चुनाव प्रणाली को मजबूत और विश्वसनीय बनाया गया है।

विधि एवं प्रक्रिया में सुधार – भारतीय चुनाव प्रणाली को अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए समय–समय पर विभिन्न विधि एवं प्रक्रियाओं में सुधार किए गए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख सुधारों का विवरण दिया गया हैः

न्यूनतम आयु सीमा – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326के अनुसार, मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यह सुधार 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 के माध्यम से किया गया। इससे युवाओं को मतदान का अधिकार मिला है और उनकी राजनीतिक सहभागिता बढ़ी है।

मतदाता सूची का सुधार – मतदाता सूची को अद्यतित और सही करने के लिए चुनाव आयोग ने कई कदम उठाए हैं। ई–मतदाता सेवाएँ, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधाओं की शुरुआत की गई है, जिससे मतदाता सूची में सुधार किया जा सके। यह सुधार सुनिश्चित करता है कि सभी पात्र मतदाताओं का नामांकन हो और वे मतदान कर सकें।

चुनावी खर्च की सीमा – चुनावी खर्च की सीमा का उल्लंघन रोकने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त नियम और विनियम लागू किए हैं। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित की गई है और इसके उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान है। इससे चुनावी प्रक्रिया में धन शक्ति का प्रभाव कम होता है।

चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता – चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के लिए कई सुधार किए गए हैं। 2018 में चुनावी बांड की शुरुआत की गई, जिससे मतदाता किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से धन दे सकते हैं। इसके अलावा, राजनीतिक दलों को उनके वित्तपोषण के स्रोतों का खुलासा करना अनिवार्य किया गया है।

आचार संहिता – चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की है। यह आचार संहिता चुनाव के दौरान अनुशासन और नैतिकता का पालन सुनिश्चित करती है। इसके अंतर्गत उम्मीदवारों और दलों के लिए चुनाव प्रचार, रैलियों और विज्ञापनों के नियम निर्धारित किए गए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)

2000के दशक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग प्रारंभ किया गया। म्टड के उपयोग से मतदान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने में मदद मिली है। इसके साथ ही वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल की भी शुरुआत की गई, जिससे मतदाताओं को उनके वोट की पुष्टि मिल सके।

चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी सुधार

मतदाता सूची के अद्यतनीकरण और मतदान प्रक्रिया में तकनीकी सुधार की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण, डिजिटल मतदाता पहचान पत्र और ई–गवर्नेंस जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके।

न्यायिक समीक्षा

चुनाव सुधार के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रावधान भी महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा चुनावी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई और निर्णय सुनिश्चित करता है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। भारतीय चुनाव प्रणाली में विधि एवं प्रक्रिया में सुधार के ये कदम चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सुधारों के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत और विश्वसनीय बनाया जा सकता है।

राजनीतिक दलों के लिए नियम

भारतीय चुनाव प्रणाली में राजनीतिक दलों के लिए कई नियम और विनियम निर्धारित किए गए हैं, जो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। यहाँ कुछ प्रमुख नियमों का विवरण दिया गया हैः

पंजीकरण

राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए दलों को अपने संविधान, सदस्यता, और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने होते हैं। पंजीकरण के बाद ही दल चुनाव में भाग ले सकते हैं और चुनाव चिह्न प्राप्त कर सकते हैं।

आदर्श आचार संहिता

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की है। यह आचार संहिता चुनाव के दौरान अनुशासन और नैतिकता का पालन सुनिश्चित करती है। इसके अंतर्गत उम्मीदवारों और दलों के लिए चुनाव प्रचार, रैलियों और विज्ञापनों के नियम निर्धारित किए गए हैं।

चुनावी खर्च की सीमा

राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। चुनाव आयोग ने चुनावी खर्च की निगरानी और नियंत्रण के लिए सख्त नियम और विनियम लागू किए हैं। इसके उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान है।

वित्तीय पारदर्शिता

राजनीतिक दलों को उनके वित्तपोषण के स्रोतों का खुलासा करना अनिवार्य है। चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बांड की शुरुआत की गई है, जिससे मतदाता किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से धन दे सकते हैं। इसके अलावा, दलों को अपने वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने होते हैं।

आंतरिक लोकतंत्र

राजनीतिक दलों को अपने आंतरिक संगठन में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है। दलों को अपने सदस्यों के चुनाव, नेतृत्व के चयन, और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और लोकतांत्रिकता का पालन करना चाहिए।

चुनावी चिह्न

चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न आवंटित करता है। पंजीकृत और मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाते हैं, जिससे मतदाताओं को पहचानने में आसानी होती है। चुनाव चिह्न का उपयोग चुनाव प्रचार और मतदान प्रक्रिया में किया जाता है।

चुनावी प्रचार

राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है। इसमें चुनाव प्रचार के समय, स्थान, और तरीकों के नियम शामिल हैं। दलों को चुनाव प्रचार के दौरान अनुशासन और नैतिकता का पालन करना चाहिए।

चुनावी विवादों का समाधान

चुनाव आयोग चुनावी विवादों के समाधान के लिए भी नियम और प्रक्रियाएँ निर्धारित करता है। चुनावी अनियमितताओं, मतदाता सूची में गलतियों, और चुनावी खर्च के उल्लंघन के मामलों में चुनाव आयोग निर्णय लेता है और आवश्यक कार्रवाई करता है। राजनीतिक दलों के लिए ये नियम और विनियम चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन नियमों का पालन करके राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में अपनी भूमिका को प्रभावी और जिम्मेदार तरीके से निभा सकते हैं।

चुनावी वित्त सुधार

चुनावी वित्त पोषण में सुधार भारतीय चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ प्रमुख सुधारों का विवरण दिया गया है स

चुनावी बांड

2018में सरकार ने चुनावी बांड पेश किया, जिससे मतदाता किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से धन दे सकते हैं इस पहल का उद्देश्य चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाना है। चुनावी बांड की खरीद KYC अनुपालन के माध्यम से की जाती है, जिससे 'क्लीन मनी' द्वारा वित्तपोषण को प्रोत्साहन मिलता है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29(1)के तहत चुनावी अनुदान की अधिकतम सीमा को 20000से कम कर 2000तक किया गया है इससे राजनीतिक दलों को नकद अज्ञात चंदे के रूप में प्राप्त धन की मात्रा को कम किया जा सकता है।

वित्तीय पारदर्शिता

राजनीतिक दलों को उनके वित्तपोषण के स्रोतों का खुलासा करना अनिवार्य किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि दलों का वित्तपोषण नैतिक और कानूनी तरीके से किया जाए स इसके अलावा, दलों को आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य किया गया है, जिससे राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में प्राप्त राशि का मूल्यांकन संभव होगा।

कॉर्पोरेट चंदे की सीमा समाप्ति

किसी कंपनी द्वारा राजनीतिक दल को चंदा देने की सीमा (उसे लाभ के अधिकतम 7-5% को हटा लिया गया हैइससे अब विशेष रूप से राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए शेल कंपनियों को स्थापित किया जा सकता है।

विदेशी वित्त पोषण

विदेशी अंशदायी (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के संशोधन ने राजनीतिक दलों के विदेशी वित्त पोषण का मार्ग खोल दिया हैयह अभिशासन में संभावित हस्तक्षेप का कारण बन सकता है।

पारदर्शिता का अभाव

RPA1951की धारा 29 के तहत प्रावधानों के बावजूद, राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग को अपनी वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते हैं स दलों द्वारा उन्हेंRTIअधिनियम के दायरे में लाए जाने की भी निंदा की गई है। चुनावी वित्त पोषण में सुधार के ये कदम चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सुधारों के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत और विश्वसनीय बनाया जा सकता है।

चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी सुधार

चुनाव प्रणाली में तकनीकी सुधारों ने चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज, और विश्वसनीय बनाया है। प्रमुख तकनीकी सुधारों का विवरण निम्नांकित है –

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)

2000 के दशक में, भारतीय चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग प्रारंभ किया गया। EVM का उपयोग मतदान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने में मदद करता है। यह कागजी मतपत्रों की तुलना में अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय है। EVM का उपयोग करने से मतदान और मतगणना दोनों में समय और संसाधनों की बचत होती है।

वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल(VVPAT)

EVM के साथ वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की भी शुरुआत की गई है। VVPAT एक प्रिंटर उपकरण है जो EVM के साथ जुड़ा होता है और प्रत्येक वोट डालने पर एक पेपर रसीद प्रिंट करता है। मतदाता इस रसीद को देखकर यह सत्यापित कर सकता है कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया है। इससे मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ती है और मतदाताओं का विश्वास बढ़ता है।

ई–मतदाता सेवाएँ

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को अद्यतित और सही करने के लिए ई–मतदाता सेवाओं की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत मतदाता ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, अपने विवरण अपडेट कर सकते हैं, और अपने मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवाएँ मतदाताओं को सुविधा प्रदान करती हैं और मतदाता सूची की अपूर्णता को दूर करती हैं।

मोबाइलऐप्स

चुनाव आयोग ने विभिन्न मोबाइल ऐप्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि Voter Helpline ऐप, जिससे मतदाता अपने नामांकन की स्थिति जांच सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, और चुनाव से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन ऐप्स के माध्यम से मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जा सकता है और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

ई–गवर्नेंस

चुनाव प्रक्रिया में ई–गवर्नेंस के उपाय भी अपनाए गए हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके। इसके अंतर्गत चुनावी दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता शामिल है।

डिजिटल प्रशिक्षण और जागरूकता

चुनाव आयोग ने मतदान अधिकारियों और मतदाताओं को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन वेबिनार, वीडियो ट्यूटोरियल, और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाता है। इससे चुनावी प्रक्रिया में शामिल सभी पक्षों को तकनीकी सुधारों के बारे में जानकारी मिलती है और वे इनका प्रभावी उपयोग कर सकते हैं।

मतदान केंद्रों पर तकनीकी सुधार

मतदान केंद्रों पर भी तकनीकी सुधार किए गए हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली का उपयोग, डिजिटल पोलिंग स्टेशन मैनेजमेंट, और इलेक्ट्रॉनिक पोल बुक्स का उपयोग। इन सुधारों से मतदान प्रक्रिया की सुरक्षा और पारदर्शिता में वृद्धि होती है। चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी सुधारों ने भारतीय चुनाव प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, और विश्वसनीय बनाया है। इन सुधारों के माध्यम से मतदान प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाया जा सकता है, जिससे मतदाताओं का विश्वास बढ़ता है और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।

वर्तमान प्रवृत्तियाँ और चुनौतियाँ

भारतीय चुनाव प्रणाली में वर्तमान प्रवृत्तियाँ और चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं –

डिजिटल तकनीक का उपयोग– वर्तमान में, चुनावी प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (म्टड) और वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (टटच।ज) जैसी तकनीकों का उपयोग चुनावी प्रक्रिया को तेज

और पारदर्शी बनाने में मदद कर रहा है। इसके अलावा, ई–मतदाता सेवाएँ, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन पंजीकरण जैसी सुविधाओं का उपयोग भी बढ़ रहा है।

चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता– चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बांड की शुरुआत की गई है। इससे मतदाता किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से धन दे सकते हैं। हालांकि, चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता की कमी अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।

धनबलऔर बाहुबल का प्रभाव – चुनावों में धनबल और बाहुबल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। बाहुबल का उपयोग मतदाताओं को धमकाने, हिंसा करने और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सख्त नियम और विनियम लागू करने की आवश्यकता है।

मतदाता सूची की अपूर्णता – मतदाता सूची में अपूर्णता और गलतियाँ आम हैं, जिससे कई पात्र मतदाता मतदान से वंचित रह जाते हैं। यह समस्या विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अधिक होती है। मतदाता सूची को अद्यतित और सही करने के लिए सुधार आवश्यक है।

चुनावी खर्च की सीमा का उल्लंघन – चुनावी खर्च की सीमा का उल्लंघन एक गंभीर समस्या है। कई उम्मीदवार और राजनीतिक दल चुनावी खर्च की सीमा का पालन नहीं करते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया में धन शक्ति का प्रभाव बढ़ता है। चुनावी खर्च की निगरानी और नियंत्रण के लिए सुधार आवश्यक है।

राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतंत्र की कमी –कई राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, जिससे नेतृत्व के चयन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी होती है। राजनीतिक दलों को अपने आंतरिक संगठन में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है।

चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी –चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। मतदाता सूची, मतदान प्रक्रिया, और मतगणना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुधार आवश्यक है। इससे मतदाताओं का विश्वास बढ़ेगा और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता में सुधार होगा।

चुनावी विवादों का समाधान –चुनावी विवादों का समाधान भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। चुनाव आयोग को चुनावी विवादों के समाधान के लिए सख्त नियम और प्रक्रियाएँ निर्धारित करनी चाहिए। चुनावी अनियमितताओं, मतदाता सूची में गलतियों, और चुनावी खर्च के उल्लंघन के मामलों में चुनाव आयोग निर्णय लेता है और आवश्यक कार्रवाई करता है। इन प्रवृत्तियों और चुनौतियों का सामना करने के लिए चुनाव सुधार आवश्यक है। चुनाव सुधार के माध्यम से भारतीय चुनाव प्रणाली को और अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी, और विश्वसनीय बनाया जा सकता है, जिससे मतदाताओं का विश्वास बढ़ेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित होगी ।

निष्कर्ष एवं सुझाव

भारत में चुनाव सुधार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वर्तमान चुनाव प्रणाली में कई खामियाँ और चुनौतियाँ हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्रभावित करती हैं। मतदाता सूची की अपूर्णता, चुनावी खर्च की सीमा का उल्लंघन,शक्ति का प्रभाव, और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी जैसी समस्याएँ चुनाव सुधार की आवश्यकता को दर्शाती हैं। चुनाव सुधार के माध्यम से इन खामियों को दूर किया जा सकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। चुनाव आयोग की स्थापना, मतदाता सूची का सुधार, चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता लाना, और चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी सुधार जैसे कदमों ने चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सुझाव

मतदाता सूची का अद्यतनीकरण– मतदाता सूची को अद्यतित और सही करने के लिए नियमित रूप से सत्यापन और पंजीकरण अभियान चलाए जाने चाहिए। इसके लिए ई–मतदाता सेवाएँ, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधाओं का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए।

चुनावी खर्च की निगरानी– चुनावी खर्च की सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी और नियंत्रण की आवश्यकता है। चुनाव आयोग को उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के खर्च की नियमित जांच करनी चाहिए और उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान होना चाहिए।

शक्ति और बाहुबल का प्रभाव कम करना– चुनावों में धन शक्ति और बाहुबल का प्रभाव कम करने के लिए सख्त नियम और विनियम लागू किए जाने चाहिए। इसके लिए चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कार्य करना चाहिए और चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता– चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों को उनके वित्तपोषण के स्रोतों का खुलासा करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। चुनावी बांड की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाना चाहिए।

तकनीकी सुधार– चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी सुधारों का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (म्टड) और वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (टटच।ज) जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा, मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली और डिजिटल पोलिंग स्टेशन मैनेजमेंट जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए।

राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र– राजनीतिक दलों को अपने आंतरिक संगठन में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। दलों को अपने सदस्यों के चुनाव, नेतृत्व के चयन, और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और लोकतांत्रिकता का पालन करना चाहिए।

चुनावी विवादों का समाधान– चुनावी विवादों के समाधान के लिए सख्त नियम और प्रक्रियाएँ निर्धारित की जानी चाहिए। चुनाव आयोग को चुनावी अनियमितताओं, मतदाता सूची में गलतियों, और चुनावी खर्च के उल्लंघन के मामलों में सख्त निर्णय लेना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

मतदाता शिक्षा और जागरूकता– मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों, और सामुदायिक संगठनों के माध्यम से मतदाता शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

इन सुझावों के माध्यम से भारतीय चुनाव प्रणाली को और अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी, और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। चुनाव सुधार के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत और समावेशी बनाया जा सकता है, जिससे मतदाताओं का विश्वास बढ़ेगा और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

संदर्भ सूची

- [भारतमेंचुनावसुधारकेप्रयासोंकीव्याख्या] (https://www.notesworld.in/2024/10/blog-post_461.html)
- [चुनावसुधारवर्तमानआवश्यकता DrishtiIAS(https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/for-a-level-playing-field-on-election-reforms)
- [भारतमेंचुनावीसुधार - Drishti IAS](https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/electoral-reforms-in-india)
- [The Impact of Political Participation on Indian Democracy](https://polsci.institute/india-democracy-development/impact-political-participation-indian-democracy/)
- [Political Engagement Among Youth: Trends and Implications](https://ijrar.org/papers/IJRAR19D6033.pdf)
- [Evidence on the Impact of Political Engagement - World Bank](https://thedocs.worldbank.org/en/doc/691801464199875908-0050022016/original/Chapter5Evidenceontheimpactofpoliticalengagement.pdf)